BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

न्याय * साम्या * सद्विवेक

प्रथम संस्करण : 2020

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का संविधान

जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन हैं

"Neither we desire Kingdom, nor heaven or life.
न तो हम राज्य की इच्छा रखते हैं, न स्वर्ग या जीवन की ।"

लेखक :

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता

प्रकाशक :

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsyparty

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का संविधान

जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन हैं

BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

न्याय * साम्या * सद्विवेक

सामग्रियाँ		पृष्ठ संख्या
अनुच्छेद I	– पार्टी का नाम	1
अनुच्छेद II	– पार्टी का उद्देश्य	1
अनुच्छेद III	– पार्टी की सदस्यता	2
अनुच्छेद IV	– संगठनात्मक ढाँचा	3
अनुच्छेद IV क	– दूसरा ढाँचा	4
अनुच्छेद V	– पार्टी के पदाधिकारी	9
अनुच्छेद VI	– आचार–संहिता, अनुशासन और विवाद समाधान	10
अनुच्छेद VII	– संचालन के नियम	12
अनुच्छेद VII क	– पार्टी पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया	13
अनुच्छेद VIII	– पार्टी निधियाँ और खाते	15
अनुच्छेद IX	– संविधान का संशोधन	16
अनुच्छेद X	– विलय, विभाजन और विघटन	16
अनुच्छेद XI	– संविधान की व्याख्या	16
अनुच्छेद XII	– विविध प्रावधान	16
सदस्यता फॉर्म A एवं रसीद		17
सदस्यता फॉर्म B एवं रसीद		18

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsyparty

अनुच्छेद I : पार्टी का नाम

पार्टी का नाम ''भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी'' होगा ।

अनुच्छेद II : पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य

(1) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगी ।लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद को इसके मूल सिद्धांत है ।पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही उसमें शामिल होगी।

(2) लोकतंत्र लोकप्रिय स्व–शासन है, परंतु लोकतंत्र का वर्तमान अभ्यास इस आदर्श को नकारता है और भारत में न्याय आदिकाल से दुर्लभ रहा है ।यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शनैःशनैः न्याय का अस्तित्व विलोपित होता जा रहा है। वर्तमान युग में ''मत्स्य न्याय व्यवस्था'' फैली हुई है। इस कारण धनाढय और संपन्न लोगों को न्याय पालिका से कभी कोई शिकायत नहीं रही हैं। बड़ी चालाकी से धनाढय और संपन्न लोगों द्वारा निर्धन और असहाय लोगों पर शासन किया जा रहा हैं। आज आम जनता राजनैतिक षडयंत्रो से क्षुब्ध हो चुकी हैं इसलिए निर्धन और असहाय लोगों को भी चुनावी प्रक्रियाओं में राजनीति में आने का अवसर समानता पूर्वक मिलना चाहिए ।महिलाओं, दलितों, दिव्यांगों, तृतीय लिंग, अल्पसंख्यकों एंव पिछड़ों के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत में पार्टी का विश्वास है । समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए पार्टी इसे जरूरी समझती है।

(3) रोटी– कपडा–मकान को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षा एवं अस्पतालों के व्यवसायिकीकरण, राजनेताओं द्वारा पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप करके असामाजिक तत्वों का पालन पोषण, धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी विरोध करती है और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा ।भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है। भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखेगी। भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है, जिसमें आर्थिक एंव राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप हो । पार्टी शान्तिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, इसमें सत्याग्रह तथा शान्तिपूर्ण विरोध शामिल है।

(4) प्रदूषण एवं डिजिटल तरंगो से प्रदूषण, पर्यावरण एवं प्राचीन संस्कृति सरंक्षण, जल साक्षरता, नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर औद्योगीकरण और रोजगार के नये अवसरों की खोज,बंद उद्योगों को पुनः जीवन का प्रयास,नये उद्योगों के विकास के मार्ग को निष्कंटक करना, अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटकर व्यापारियों की रोजी रोटी पर लात मारने के पूर्व उन्हें उचित विकल्प उपलब्ध कराना, ऊर्जा का नवीकरणीय स्त्रोतों के विकास हेतु जागरूकता लाना, देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, कालाबाज़ारी, आतंकवाद मुक्त करने का प्रयास जैसे जनहित एवं राष्ट्रहित के चिंतन के विषय पार्टी के लिए सर्वोपरि रहेंगे।

मूल दर्शन

प्राकृतिक न्याय,न्याय, साम्या, सदविवेक, समानता, विश्वबन्धुत्त्व, नारी का सम्मान एवं देश की करोड़ो शोषित गरीब जनता का कल्याण पार्टी का मूल दर्शन होगा ।

अनुच्छेद III : पार्टी की सदस्यता

क. सदस्यता के लिए पात्रता

18 वर्ष या अधिक की आयु का भारत का कोई भी नागरिक, जो पार्टी के उद्देश्यों को अंगीकार करता है, निर्धारित शुल्क देकर पार्टी का सदस्य बनने का पात्र होगा, बशर्ते कि वहः

i. भारतीय चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है

ii. ऐसे किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है जिसके दृष्टिकोण, नीतियाँ या कार्रवाइयाँ इस पार्टी के उद्देश्यों के साथ टकराव में हों और/या,

iii. नैतिक पतन को सम्मिलित करने वाले किसी भी अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।

ख. सदस्यता की श्रेणियाँ

सदस्यों की दो श्रेणियाँ होंगीः

ii. **साधारण सदस्यः** प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पार्टी का सदस्य बनता है, एक सामान्य सदस्य होगा। किसी साधारण सदस्य के पास मतदान का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

ii. **सक्रिय सदस्यः** कोई व्यक्ति जो कम से कम चार महीने तक एक साधारण सदस्य रह चुका है और जिसने सदस्यों के लिए आचार–संहिता का पालन किया है और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, पार्टी की सक्रिय सदस्यता के लिए पात्र होगा। एक सक्रिय सदस्य के पास मत देने का अधिकार होगा।

ग. सदस्यता प्रक्रिया

i. कोई व्यक्ति निर्धारित घोषणा और सदस्यता शुल्क, जैसा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है, के भुगतान को जमा करने पर पार्टी का एक सामान्य सदस्य बनेगा।

ii. पार्टी की सक्रिय सदस्यता को चाहने वाला कोई व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित प्राथमिक इकाई या सम्बन्धित जिला इकाई के कार्यालय में आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन को कम से कम दो मौजूदा सक्रिय सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

iii. आवेदन पर सम्बन्धित प्राथमिक इकाई की ग्राम या वार्ड या छात्र सभा द्वारा उसकी आगामी बैठक में विचार किया जाएगा, जिसके बाद यह सभा अपनी सिफारिश जिला कार्यकारी को बताएगी।

iv. जिला कार्यकारी प्रत्येक आवेदन पर अंतिम निर्णय, आवेदन की प्राप्ति के बाद आयोजित अपनी बैठक में लेगी।

v. पार्टी अपने सदस्यों की एक पंजिका का रखरखाव ऐसे तरीके से करेगी जैसा विनियमनों में निर्धारित किया जा सकता है।

vi. सक्रिय सदस्यों की सूची को पार्टी के किसी भी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के आवेदनों को बुलाने से एक महीने पहले अपरिवर्तनीय कर दिया जाएगा। सक्रिय सदस्यता के लिए लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, पर सूची को अपरिवर्तनीय करने से पहले निर्णय लिया जाएगा।

vii. राष्ट्रीय कार्यकारी, राज्य कार्यकारी तथा जिला कार्यकारी के पास नए सदस्यों को सीधे भर्ती करने या किसी भी व्यक्ति को एक सक्रिय सदस्य की स्थिति प्रदान करने की शक्ति होगी। हालांकि ऐसी शक्ति का अभ्यास जिला कार्यकारी द्वारा केवल तब ही किया जाएगा जब किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई प्राथमिक इकाई अस्तित्व में नहीं है।

viii. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी जिला कार्यकारी या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी निकाय में सहयोगित (को–ऑप्ट) किया गया है, उसको आवश्यक सदस्यता शुल्क, जैसा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है, के साथ आवेदन प्रपत्र को जमा करने पर पार्टी का एक सक्रिय सदस्य बन गया समझा जाएगा ।

ix. यदि कोई जिला कार्यकारीध राज्य कार्यकारी किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता प्रदान करने का निर्णय किया है जो पिछले दस वर्षों में किसी दूसरे पंजीकृत राजनीतिक दल में एक नेता था या अभी भी एक नेता है, तो ऐसा निर्णय केवल राष्ट्रीय कार्यकारी द्वारा अनुमोदन के बाद परिचालित होगा। किसी नेता का यहाँ पर अर्थ होगा या तो किसी दूसरे दल का राज्य या राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी दूसरे दल के चुनाव चिह्न पर संसदीय या विधानसभा या जिला स्तर के चुनावों को लड़ा है।

x. एक सक्रिय सदस्य सदस्यता शुल्क और योगदान का भुगतान करेगा जैसा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है।

xi. एक व्यक्ति या तो अपने स्थायी निवास की जगह पर या जहां पर वह अपना कारोबार चलाता है, वहाँ पर पार्टी का एक सदस्य बन सकता है परंतु एक समय में वह एक से अधिक जगह पर सदस्य नहीं होगा।

xii. यदि कोई भी सक्रिय सदस्य अपना निवास स्थान बदलता है, तो उसे सम्बन्धित इकाइयों को लिखित में सूचना देकर अपने पते को बदलवाना चाहिए।

घ. अवधि

सदस्यता का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। एक सदस्य को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होगा। इस खंड के प्रयोजन के लिए एक वर्ष किसी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल या किसी सदस्य के पंजीकरण की तिथि से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि होगा।

ङ. सदस्यता की समाप्ति

किसी भी व्यक्ति का,

i. मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन / हटाए जाने या सदस्यता का नवीकरण न करवाने

ii. यदि वह किसी दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है

iii. नैतिक पतन को सम्मिलित करने वाले किसी अपराध के लिए विधि के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने की घटना में पार्टी का एक सदस्य होना समाप्त हो जाएगा।

च. सदस्यता से निलंबन

राज्य कार्यकारी या राष्ट्रीय कार्यकारी किसी सक्रिय सदस्य को पार्टी की सदस्यता से, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ लंबित रहते हुए, निलंबित कर सकती है।

अनुच्छेद IV: संगठनात्मक ढाँचा

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगे:

(1) राष्ट्रीय संगठन
  (क) राष्ट्रीय सम्मेलन
  (ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी
(2) राज्य स्तरीय संगठन
  (क) राज्य सम्मेलन
  (ख) राज्य कार्यकारिणी
(3) जिला स्तरीय संगठन
  (क) जिला सम्मेलन
  (ख) जिला कार्यकारिणी
(4) नगरीय संगठन

(क) नगर निगम सम्मेलन एंव नगर निगम कार्यकारिणी
(ख) नगर पालिका सम्मेलन एवं नगर पालिका कार्यकारिणी

(5) विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन
(क) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन
(ख) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी

(6) प्रांरभिक समितियाँ

नोट:- (क) प्रारंभिक समिति का क्षेत्र एक मतदान केन्द्र होगा।
(ख) इस संविधान में उल्लेखित ' राज्य ' शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शमिल होगा।
(ग) 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों के संगठन को इस संविधान के अंतर्गत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जाएगा।

राज्य की इकाइयों का क्षेत्र:

(1) भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी की राज्य इकाईयों का गठन होगा।
(2) राज्य इकाइयों का मुख्यालय संबन्धित राज्यध्केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में होगा।
(3) महानगर की इकाइयों का स्वरूप राज्य स्तरीय इकाइयों के समान होगा।

अनुच्छेद IV क : दूसरा ढाँचा

प्रांरम्भिक समिति:

(1) प्रांरम्भिक समिति का गठन केवल वही हो सकेगा, जहाँ एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य हो । सक्रिय सदस्यों की सूची में से ही प्रांरभिक समिति का अध्यक्ष '' विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।''
(2) 50 प्रांरभिक सदस्यों पर प्रांरभिक समिति अध्यक्ष सहित सात सदस्यीय और 50 से ज्यादा सदस्य होने पर ग्यारह सदस्यीय होगी। जिसका चुनाव दल के प्रारंभिक सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से किया जाएगा।
(3) नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को प्रांरभिक समिति माना जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन एंव कार्यकारिणी:

(1) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अंदर जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, प्रत्येक सक्रिय सदस्य विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन का सदस्य होगा।
(2) पार्टी की सक्रिय सदस्य एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अंदर निवास करने वाले पार्टी के विधायक, सांसद, अध्यक्ष, जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी.सी.एफ., सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निर्देशक विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होगें। पदस्थ सदस्यों के लिये पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।
(3) विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मलेन, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मलेन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा । सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए संक्रिय सदस्य होना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन सचिवों एवं एक कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेगा।

जिला सम्मेलन एवं जिला कार्यकारिणी:

जिला सम्मेलन में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(1) जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों एवं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के सम्मेलन द्वारा जिला सम्मेलन के लिए चुने हुऐ प्रतिनिधि।
(2) जिले के पार्टी के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसद और विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत और राज्य का शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संचालक तथा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जिला सम्मेलन के पदस्थ सदस्य होंगे, बशर्त वे भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सक्रिय सदस्य हों। ये सभी जिला कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य भी होंगे।
(3) ''जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 51 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा । अध्यक्ष इन सदस्यों में से तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, व दस सचिवों को मनोनीत करेगा''। जिला कार्यकारिणी की बैठक महीने में एक बार अवश्य बुलायी जाएगी।
(4) जब तक 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र समितियों का गठन नहीं होता, जिला सम्मेलन और जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सकेगा।

नगर निगम / नगर पालिका सम्मेलन:

इन सम्मेलनो का गठन निम्नवत होगा –

(1) नगर निगम/नगर पालिका, (तीन लाख आबादी या इससे अधिक) के प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। जो कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत नगर निगम/नगर पालिका सम्मेलन 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
(2) नगर पालिका(तीन लाख से कम आबादी) के सभी सक्रिय सदस्य नगर पालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। जो 20 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों केा राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे।
(3) नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले विधायक, संसद सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम पार्षद तथा नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सभासद, यदि वे भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सक्रिय सदस्य है तो नगर निगम सम्मेलन अथवा नगर पालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे । ये सभी नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य भी होंगे।

११ (अ) नगर निगम / नगर पालिका कार्यकारिणी:

(1) नगर निगम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सम्मेलन करेगा और अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं पाँच सचिवों को मनोनीत करेगा।
(2) नगर पालिका की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव नगर पालिका सम्मेलन करेगा । अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं तीन सचिवों को मनोनीत करेगा।
(3) नगर निगम एवं नगर पालिका के वार्ड स्तर पर भी भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के इकाइयो का गठन किया जाएगा।
(4) नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 5 तथा नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों के होने पर ही वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकेगा। वार्ड के प्रांरभिक सदस्य वार्ड कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, और तीन सचिवों केा मनोनीत करेगा । पदाधिकारी केवल सक्रिय सदस्य ही हो संकेगे।
(5) कम से कम 50 प्रतिशत वार्ड समितियों का गठन होने पर ही नगर पालिका सम्मेलन कार्यसमिति एवं नगर निगम सम्मेलन कार्यकारिणी का गठन हो सकेगा। कार्यकारिणी की बैठक महीने में एक बार अवश्य बुलायी जाएगी।

राज्य सम्मेलन:

राज्य सम्मलेन के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे:

(1) राज्य अध्यक्ष द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों, नगर निगमध नगर पालिका (तीन लाख आबादी) के वार्ड सम्मेलनों तथा नगर पालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सम्मेलनों द्वारा चयनित राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि।

(2) मुम्बई एवं कलकत्ता –हावड़ा महानगर (राज्य दर्जा प्राप्त) के 15 वार्डो को मिलाकर एक जिला के समकक्ष माना जाएगा । महानगरो में अध्यक्षो की सस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला इकाई का निर्णय करेगा।

(3) प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की तरह चुनाव करेगे तथा कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत महानगर सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि चुनेंगे।

(4) महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलनों में निगम के पार्टी पार्षद तथा महानगर राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण प्रतिनिधि होंगे।

(5) सम्बंधित राज्य के भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सभी सदस्य विधायक, अध्यक्ष, जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, तीन लाख के ऊपर की आबादी वाले सभी नगर अध्यक्ष, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होगें । शर्त यह है कि उक्त सभी को भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(6) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सम्बन्ध संगठनों के जिला अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे।

(7) जब तक किसी राज्य के अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत जिला सम्मेलनो / नगर निगम सम्मेलनो / नगर पालिका सम्मेलनों का गठन नहीं होता, राज्य सम्मेलन का गठन नहीं हो सकेगा।

राज्य कार्यकारिणी:

(1) राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिये बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान राज्यों के लिये अध्यक्ष सहित 51 सदस्यों एवं शेष राज्यों के लिए अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों का निर्वाचन करेगा अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं 12 सचिवों को मनोनीत करेगा।

(1–क) प्रदेश राज्य का राज्य सम्मलेन अध्यक्ष सहित 101 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष इन सदस्यों में से तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं पच्चीस सचिवों को मनोनीत करेगा।

(2) राज्य विधानसभा एंव विधान परिषद् में पार्टी विधायक दल के नेता राज्य कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होंगे।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने–अपने राज्यो में राज्य कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनो के राज्य अध्यक्ष एवं सहकारी शीर्षस्थ संस्थाओं के राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होंगे । अपने जिले की कार्यकारिणी में भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पदस्थ सदस्य होंगें।

(4) राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष दो माह में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवश्य बुलाएगा।

(5) राज्य कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों अथवा राज्य सम्मलेन के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने को अध्यक्ष बाध्य होगा।

(6) राज्य सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाएगा।

राज्य ससंदीय बोर्ड:

(1) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के प्रत्येक राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित 9(नौ) होगी । राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष पार्लियामेंन्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा महासचिव बोर्ड का सचिव होगा । राज्य अध्यक्ष विधान मण्डल दल के नेता सहित अधिकतम आठ व्यक्तियों को संसदीय बोर्ड का सदस्य मनोनीत करेगा।

(2) राज्य संसदीय बोर्ड विधान मण्डलों एंव स्थानीय निकायों में भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सदस्यों के लिए

मार्गदर्शक का कार्य करेगा।

(3) राज्य संसदीय बोर्ड अपने–अपने राज्यों में लोकसभा, विधानसभा, एवं स्थानीय निकाय के चुनावों के समय प्रत्याशियों के नामों का पैनल केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगा।

राष्ट्रीय सम्मेलन:

(1) राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होगें।
(क) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिय चयनित प्रतिनिधि।
(ख) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सभी ससंद सदस्य, सभी विधायक एवं सभी भूतपूर्व संसद सदस्य और पार्टी के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष।
(ग) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सभी राज्य अध्यक्ष, सम्बद्ध संगठनों के सभी राज्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष।
(घ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य ।
(ड.) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह पार्टी के सक्रिय सदस्य हो।
(च) इस धारा की उपधार 1(क) से (ड.) के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन के 40 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है।

(3) 3 वर्ष के अंदर कम से कम एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एंव स्थान पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक अवश्य होगी।

(4) राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चयन को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी:

(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 सदस्य होगें । राष्ट्रीय सम्मेल अध्यक्ष सहित 40 सदस्यों का निर्वाचन करेगा । 10 सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के लिए मनोनीत करेगा । ऐसे सदस्यों के लिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, छः महासचिवों एवं छः सचिवों को मनोनीत करेगा।

(2) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयो का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा।

(3) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के संविधान की विभिन धाराओं की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार अंतिम एवं निर्णायक होगा

(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी।

(5) राष्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैंक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा । राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशाा में उसे विचार हेतु सम्मेलन में ला सकती है।

(6) राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड अभिलेख, कागजात और बहीखातों की जांच करने के लिए लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। सभी इकाइयों के लिए इन लेखा परीक्षको एवं अधिकारियों को वांति सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(7) आवश्यकता पड़ने पर पार्टी को सुचारू रूप् से चलाने के लिए नियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन कराना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह से बनाये गये निमयों का अनुमोदन राष्ट्रीय सम्मेलन की अगली बैठक में अनिवार्य रूप किया जाएगा । इस तरह के नियम राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाए

जाने के तुरंत बाद से ही लागू हो सकेंगे, भले ही उनका अनुमोदन बाद में हो।

(8) पार्टी सविंधान क अधीन विभिन्न इकाइयों को निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

(9) राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही वह तारीख तय करेगी जिस पर उसके जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा।

(10) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दो माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा अवश्य बुलाई जाएगी।

(11) ससंदीय दल का नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदस्थ सदस्य होगा । राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होंगे । सम्बद्ध संगठनो के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदस्थ सदस्य होंगे।

अध्यक्ष:

(क) अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पार्टी विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(ख) पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुशासन सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम होगा। यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का आचरण पार्टी विरोधी है तो अध्यक्ष ऐसे किसी भी पदाधिकारी, पदाधिकारियों, सदस्य या सदस्यों को पार्टी से निलम्बित कर सकता है। ऐसे मामलों को अनुशासन समिति के द्वारा सर्व सहमति से अगली बैठक में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार निराकृत किया जाएगा ।

(ग) जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही होगी, उस अवधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। इस दौरान लिए गए सभी निर्णयों की पुनः समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी और सर्व सहमति से निर्णय लिए जाएंगे ।

(घ) कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा।

(कृ) कार्यकारिणी के किसी सदस्य के त्याग पत्र देने, मृत्यु होने या पार्टी से निकाले जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों / स्थान को अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए मनोनयन के द्वारा भर सकेगा।

(च) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। सम्बद्ध संगठनों की राज्य कार्यकारिणी का गठन राज्य अध्यक्ष मनोनयन के द्वारा करेगा लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसका पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराना होगा।

उपाध्यक्ष:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा । अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उपाध्यक्ष वह सभी कार्य करेगा, जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया है।

कोषाध्यक्ष:

कोषाध्यख भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के कोष का व्यवस्थापक होगा। वह समस्त पूंजी विनियोग आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखेगा।

अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों के अनुसार सम्बन्धित महासचिव पार्टी के अधिवेशनधविशेष अधिवेशन की कार्यवाही तैयार करेगा तथा उसका प्रकाशन कराना, उस महासचिव का दायित्व होगा । राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यो का विवरण तैयार करना, अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करने का कार्य भी उक्त महासचिव का होगा।

केन्द्रीय संसदीय बोर्ड (सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड)

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का एक केन्द्रीय संसदीय बोर्ड होगा जिसकी संख्या सात होगी । पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत महासचिव बोर्ड का सचिव होगा । राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णिम

युग पार्टी संसदीय दल के नेता सहित अधिक से अधिक छः सदस्यों को संसदीय बोर्ड के लिए मनोनीत करेगा। राज्यों के विधान मण्डलों एवं ससंद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशीयों का चयन करने वाली अन्तिम निर्णायक संस्था के रूप में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड कार्य करेगा । चुनाव चिन्ह का आवंटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही होगा।

इस संविधान के अनुसार सम्बन्धित सम्मेलनों का गठन न होने पर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिका एवं जिला कार्यकारिणी का मनोनयन राज्य अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

विषय निर्धारण समिति:

(1) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दल के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन से पहले जब विभिन्न प्रस्तावों के चयन हेतु बैठेगी तो उसे विषय निर्धारण समिति का नाम दिया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय सम्मेलन / विशेष अधिवेशन के लिए प्रस्तावः राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विषय निर्धारण समिति को भेजे गए प्रस्ताव और राज्य सम्मेलन द्वारा अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजे गए प्रस्ताव, जिन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहमत हो, विषय निर्धारण समिति के समक्ष रखे जाएंगे। विषय निर्धारण समिति प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करेगी। विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत न होने पर अधिवेशन की बैठक के ठीक पहले यदि कम से कम 100 प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को रखने के लिए लिखित आवेदन करते है तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय देगा।

विशेष अधिवेशन:

(1) भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 वर्षो में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर होगा। लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा मांग करने पर या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित करने पर विशेष अधिवेशन एक माह पूर्व की सूचना पर कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है । अधिवेशन पार्टी के लिए दिशा–निर्देश का कार्य करेगा।

(2) अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को ही मना जाएगा। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) जिस राज्य में अधिवेशन हो रहा है उस राज्य की कार्यकारिणी अधिवेशन के लिये स्वागत समिति के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी तैयारी के लिए सारी व्यवस्था जिसमे इस हेतु धन संग्रह एवं उसका हिसाब–किताब शामिल है राज्य कार्यकारिणी ही करेगी।

कोरम:

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के समस्त सम्मेलनों एवं विशेष अधिवेशनों की बैठको के लिए कोरम कुल संख्या का 20 प्रतिशत होगा। कार्य समितियों की बैठक का कोरम कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

प्रत्येक स्तर के सम्मेलन में दर्शक प्रतिनिधि की व्यवस्था होगी जो सम्मेलन के बहस में भाग ले सकेंगे। लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। दर्शक प्रतिनिधि के मनोनयन का अधिकार सम्बन्धित स्तर के अध्यक्ष को होगा।

अनुच्छेद V: पार्टी के पदाधिकारी

१. सचिव

i. सम्बन्धित स्तर पर सचिवालय के मामलों के दिन–ब–दिन के प्रबंधन के लिए।

ii. सम्बन्धित स्तर पर रिकॉर्डों का रखरखाव करने के लिए और बैठकों के मिनिट्स को रखने के लिए,ऐसे सभी काम करने के लिए जैसे समय–समय पर पार्टी द्वारा उसे दिए जाते हैं,जिम्मेदार होगा।

iii. राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सभी कानूनी प्रयोजनों के लिए पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा।

२. जिला/राज्य कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्षः

i. सम्बन्धित स्तर पर खातों का रखरखाव करने के लिए।

ii. खातों के रखरखाव आदि के बारे में समय–समय पर जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों और निर्देशो का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

३. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

राष्ट्रीय कोषाध्यक्षः

i. सुनिश्चित करेगा कि पार्टी के खातों का ठीक से रखरखाव और सी.ए.जी. की पैनल पर किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।

ii. सुनिश्चित करेगा कि खातों और पार्टी निधियों के बारे में सभी वैधानिक अनुपालनों को विधिवत किया जाता है।

iii. सुनिश्चित करेगा कि पार्टी के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर भारत के निर्वाचन आयोग को जमा किया जाता है।

४. पदाधिकारियों का कार्यकाल

कोई भी सदस्य एक पदाधिकारी के रूप में एक ही पद को तीन वर्ष प्रत्येक की लगातार दो अवधियों से अधिक के लिए धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद VI: आचार–संहिता, अनुशासन और विवाद समाधान

अनुशासन समितिः अनुशासन हीनता के मामलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तीन सदस्यीय समिति का गठनन करेगा । इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगें। समिति से निश्चित समय सीमा के अन्दर जांच रिर्पोट एवं संस्तुतियों प्राप्त करके अध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

१. आचार–संहिता

1. पार्टी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित आचार से बद्ध होगाः

i. कोई सदस्य स्वयं को किसी भी अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि जो पार्टी की छवि को धूमिल करेगी या ऐसे आचरण जैसे इसके लिए बदनामी लाएँगे, में संलग्न नहीं करेगा।

ii. कोई सदस्य किसी गतिविधि को करेगा, जो पार्टी के उद्देश्यों के उल्लंघन में या के विपरीत है जैसा इस संविधान में स्थापित किया गया है या पार्टी की आधिकारिक नीति के विपरीत है।

iii. कोई सदस्य पार्टी द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा या इसके द्वारा दिए गए किसी भी दशा की अवज्ञा नहीं करेगा।

iv. सदस्य, पदाधिकारियों के अलावा, पार्टी मंच के भीतर और बाहर अपनी स्वयं की राय को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जब तक कि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पार्टी द्वारा विपरीत के लिए कोई विशिष्ट दिशा नहीं है। मात्र राय की विभिन्नता की अभिव्यक्ति को आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक यह पार्टी के उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं करती है।

2. ऊपर की व्यापकता पर पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी पदाधिकारी कोः

i. स्वयं को किन्हीं भी भ्रष्ट प्रथाओं में सम्मिलित अवश्य नहीं करना चाहिए।

ii. नैतिक पतन को सम्मिलित करने वाले किसी अपराध का लंबित आपराधिक मामला अवश्य नहीं होना चाहिए या अतीत में ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी अवश्य नहीं पाया गया होना चाहिए।

iii. किसी भी संगठन का एक भाग अवश्य नहीं होना चाहिए जो धर्म या जाति के आधार पर असंगति फैलाता है या अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है।

iv. महिला के शोषण या दुर्व्यवहार में संलग्न अवश्य नहीं होना चाहिए।

v. नशीली दवाओं की लत या शराबी व्यवहार में लिप्त अवश्य नहीं होना चाहिए ।

vi. पार्टी को अपनी और अपने परिवार की आय और संपत्ति की वार्षिक घोषणा ईमानदारी से और सही ढंग से अवश्य करना चाहिए।

२. अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकार

i. निम्नलिखित विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों के विरुद्ध आचार–संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को निपटाएगाः

राष्ट्रीय स्तरः	पार्टी लोकपाल
राज्य स्तरः	लोकायुक्त
जिला स्तर और नीचेः	जिला लोकायुक्त

ii. सक्रिय सदस्य के संबंध में, प्राथमिक स्तरों पर सम्बन्धित सभाएँ इस तरह की शिकायतों को खुले सभा बैठकों में निपटाएँगी।

iii. आंतरिक विवादों, अनुशासनहीनता, शिकायतों आदि को संबोधित करने के लिए, प्रत्येक स्तर पर कार्यकारी समितियों द्वारा पार्टी के सदस्यों के भीतर से शिकायत समितियाँ को प्रत्येक स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

iv. राष्ट्रीय कार्यकारी अनुशासनात्मक समितियों के गठन के लिए अधिनियमों और उनके द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं को बनाएगी।

३. दंड

अनुशासनात्मक कार्रवाई का परिणाम चेतावनी, पार्टी से निलंबन या निष्कासन से लेकर विस्तार करने वाले दंडों में हो सकता है। उस सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की व्याख्या करने और उत्तर देने का एक अवसर दिए बिना. किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।ऐसे प्रकरण में कि जिला या राज्य कार्यकारी के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है, दंड को क्रमशः राज्य या राष्ट्रीय कार्यकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही लगाया जाएगा।

४. पार्टी लोकपाल/ लोकायुक्त की रचना, नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति और अवधिः

i. प्रत्येक स्तर पर पहले पार्टी लोकपाल/राज्य लोकायुक्त/जिला लोकायुक्त को राष्ट्रीय/राज्य/जिला कार्यकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा जैसा प्रकरण हो।

ii. लोकपाल/लोकायुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय होगा, जिनमें से एक एक कानूनी क्षेत्र से कोई प्रख्यात विधिवेत्ता/प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। दूसरे सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

iii. प्रत्येक पार्टी लोकपाल/लोकायुक्त सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। हालांकि जहाँ तक राष्ट्रीय/राज्य/जिला कार्यकारी द्वारा गठित पहले निकाय का संबंध है, सदस्य पहले वर्ष के अंतर से प्रारंभ करते हुए, एक वार्षिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। आयु में वरिष्ठतम सेवानिवृत्त होने वाला पहला व्यक्ति होगा।

iv. हर पार्टी लोकपाल/लोकायुक्त अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

v. एक पार्टी लोकपाल/लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के कारण से हुई रिक्ति को निकाय के शेष और निवर्तमान सदस्यों द्वारा नामांकन से भरा जाएगा।

vi. लोकपाल अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को तैयार करेगा और लोकायुक्त और जिला लोकायुक्त द्वारा पालन किए जाने के लिए प्रक्रिया को तैयार कर सकता है।

अनुच्छेद VII: संचालन के लिए नियम

बैठक:

सम्बन्धित संयोजक राष्ट्रीय / राज्य / जिला / ब्लॉक / प्राथमिक परिषद् / कार्यकारी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। किसी संयोजक के उपलब्ध न की होने घटना में, सम्बन्धित निकाय विशेष बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं।

i. विभिन्न स्तरों पर परिषदें कम से कम निम्नलिखित अंतरालों में बैठक करेंगी:
प्राथमिक स्तर: एक सप्ताह में एक बार
ब्लॉक स्तर: एक मास में एक बार
जिला स्तर: एक वर्ष में दो बार
राज्य स्तरीय: एक वर्ष में दो बार
राष्ट्रीय स्तर: एक वर्ष में दो बार

ii. विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी कम से कम निम्नलिखित अंतरालों में बैठक करेंगे:
जिला स्तर: एक मास में दो बार
राज्य स्तरीय: एक मास में दो बार
राष्ट्रीय स्तर: एक मास में दो बार

iii. यदि आवश्यक हो, तो किसी परिषद्/कार्यकारी की एक बैठक की मांग सम्बन्धित परिषद्/कार्यकारी के सदस्यों के एक–तिहाई द्वारा की जा सकती है।

१. कोरम

सभी बैठकों के लिए कोरम सम्बन्धित निकाय की संख्या का एक–तिहाई होगा। यदि कोरम नियत समय पर पूरा नहीं हुआ है, तो वो इकट्ठे हुए व्यक्ति अधिकतम 30 मिनट की अवधि तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि आवश्यक कोरम अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो बैठक को स्थगित किया जाएगा। एक नई बैठक उसके बाद बुलाई जाएगी और ऐसी बैठक के लिए कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिसे कोरम के अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था।

आपातकाल या एक्सट्राऑर्डिनरी बैठकों के प्रकरण में किसी कोरम के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ऐसी बैठकों में पारित प्रस्तावों को सम्बन्धित निकाय की अगली साधारण बैठक में पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा।

२. अधिसूचना

i. विभिन्न निकायों की साधारण बैठकों के लिए अधिसूचना की अवधि निम्नानुसार होगी:

निकाय	दिन
प्राथमिक इकाई	2
ब्लॉक स्तर	2
जिला–परिषद्	21
जिला कार्यकारी	2
राज्य परिषद्	21
राज्य कार्यकारी	2
राष्ट्रीय परिषद्	21

राष्ट्रीय कार्यकारी 2

ii. जिला/राज्य/राष्ट्रीय कार्यकारी की आपात बैठकों को सम्बन्धित संयोजक द्वारा ऐसी सूचना जैसी दुरुस्त समझी जाती है, दे करके बुलाया जा सकता है। उपरोक्त समय अवधियाँ ऐसी बैठकों के लिए लागू नहीं होंगी।
iii. सदस्य जिला/राज्य/राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठकों में या तो साक्षात या वीडियो / टेलीकॉन्फरेन्स के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणीध्नगर पालिकाध नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 दिन की पूर्व सूचना पर, सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा आहूत की जा सकेगी। असामान्य परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

३. निर्णय लेना

किसी भी बैठक में सभी स्तरों पर सभी निर्णयों को सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति में असफल रहने पर बहुमत से, लिया जाएगा। हालांकि, पार्टी संविधान के संशोधन के लिए औरध या विलय, विभाजन या भंग करने के निर्णय के एक प्रस्ताव के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

४. मिनट्स

पार्टी अपनी सभी परिषद्/कार्यकारी/समितियों की सभी बैठकों के मिनट्स रखेगी।

सदस्यों की सूची:

(1) जिला स्तर पर प्रांरभिक एंव संक्रिय सदस्यों की सूची जिला अध्यक्ष की देखरेख में अलग अलग रजिस्टर में तैयार की जाएगी। जिला अध्यक्ष एंव महासचिव दोनो के हस्ताक्षरों से सक्रिय सदस्यों की सूची राज्य कार्यकारिणी को भेजी जाएगी।

(2) बोगस या फर्जी सदस्यता की लिखित शिकायत यदि तथ्यो के साथ जिला अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जाती है तो जिला अध्यक्ष अपने स्तर से जांच कराके रिर्पोट राज्य अध्यक्ष को भेजेगा अथवा राज्य अध्यक्ष स्वयं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह से उचित समझे इसकी जांच कराएगा। यदि जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्यता बोगस है तो बोगस सदस्य करने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा राज्य अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ की जा सकेगी । राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। सदस्यता सम्बन्धी कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है।

(3) सदस्या सूची में सदस्य का नाम, स्थायी पता, भर्ती की तिथी तथा सदस्यता फार्म का क्रमांक किया जाएगा।

(4) मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, दल से निष्कासित किये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद VII: संचालन के लिए नियम (क) पार्टी पदाधिकारियों कि निर्वाचन प्रक्रिया:

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव:

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी एक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। निवार्चन अधिकारी निवार्चन को सुचारू रूप से सम्पन्न करा सके, इसलिए निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दो सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकता है।

(ख) राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन अधिकारीयों द्वारा डाक से अथवा समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर दी जाएगी।

(ग) अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के दस सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए राष्ट्रीय सम्मलेन का एक सदस्य जो किसी अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य का नाम प्रस्तावित कर सकेगा।

(घ) नामांकन वापसी के बाद यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो अगले दिन ही पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर, नियत स्थान पर अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होगा।
(ड) मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना प्रांरभ कर दी जाएगी और जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी।
(च) राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष के उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार और कार्यकारिणी के निर्वाचन में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रथम 25 उम्मीद्वार को विजयी घोषित किया जाएगा।

2. राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का निवार्चनः
(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित समय के भीतर तथा उसके अनुमोदन से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करायेगा।
(ख) राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार बनने के लिये राज्य सम्मेलन के किसी सदस्य के नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के किसी एक अन्य सदस्य द्वारा किया जाना आवश्यक है।
(ग) अध्यक्ष पद हेतु राज्य सम्मेलन का कोई भी सदस्य जिसके नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के दस सदस्यों द्वारा किया गया हो उम्मीदवार बन सकता है।
(घ) राज्य सम्मेलन के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव में एक नाम ही प्रस्ताव कर सकेंगें।
(ड) नाम वापसी के बाद यदि निवार्चन आवश्यक हुआ तो अगले दिन मतदान कराया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना संपन्न होगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी के विजयी सदस्यों की घोषणा कर दी जाएगी।
(च) विधान सभा क्षेत्र, कार्यकारिणी, नगर निगम, एवं नगर पालिका कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों, राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों एवं जिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन धारा 28 (2) के अनुसार ही संपन्न किया जायेंगा।

निर्वाचन सम्बन्धी विवादः

इस तरह के जिला स्तरीय विवादों को राज्य कार्यकारिणी निपटायेगी, राज्य से निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के मामलो में राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी अधिकारी को नियुक्त करके जाांच करायेगी तथा अन्तिम निर्णय देगी । राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। ऐसे निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

सम्बद्ध संगठनः

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के संविधान के अधीन विधिक सहायता प्रकोष्ठ, युवाजन सभा, छात्र सभा, व्यापार सभा, महिला सभा, शिक्षक सभा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एवं सैनिक प्रकोष्ठ एवं अन्य आवश्यकतानुसार गठित संगठन के नाम से सम्बद्ध संगठन होंगे। इन संगठनों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होंगे । जिले तथा नीचे के स्तर पर अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे । इनमें सभी स्तरों पर एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा पांच सचिव होंगे। इन संगठनों के अध्यक्ष अपने स्तर पर भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी की कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इन संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे।

जिला स्तरीय सम्बद्ध संगठनों का मनोनयन भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के राज्य अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से ही सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्षो द्वारा किया जाएगा सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्षों एंव राष्ट्रीय अध्यक्षों का मनोनयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । सम्बद्ध संगठनों की जिला कार्य समितियों का चयन सम्बन्धित संगठन के जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष की सहमति और राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कर सकेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि इस बात से संतुष्ट हो कि कोई सम्बद्ध संगठन भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के हितों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे सम्बद्ध संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी भंग कर सकता है या उसके किसी भी पदाधिकारी को पद से हटा सकता है। भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक सभी संगठनों में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछडों को साठ से सत्तर प्रतिशत स्थानों पर समायोजित करेगी।

अनुच्छेद VIII: पार्टी निधियाँ और खाते

बैंक खाता: विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैंक खाते पार्टी की सम्बन्धित इकाइयों के नाम से खोले जाएंगे और सम्बन्धित इकाई के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होंगे।

१. निधियों का एकत्रीकरण

i. निधियों को सदस्यता शुल्क, स्वैच्छिक दानों, पार्टी सामग्री की बिक्री, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

ii. केवल ऐसे व्यक्ति, जैसे सम्बन्धित कार्यकारी द्वारा अधिकृत हैं, निधियों को प्राप्त करेंगे।

२. दान और सदस्यता रसीदें

i. निधि एकत्रीकरण की रसीदों को केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर मुद्रित किया जाएगा।

ii. प्रत्येक रसीद को विधिवत क्रमांकित किया जाएगा और 50 रसीदों वाली पुस्तकों में जारी किया जाएगा।

३. बैंक खाता

i. पार्टी बैंक खातों की ऐसी संख्या को और ऐसे स्थानों पर खोलेगी जैसा आवश्यक माना जाता है।

ii. प्रत्येक बैंक खाते के लिए तीन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होंगे कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय / राज्य / जिला कार्यकारी द्वारा अधिकृत दो व्यक्ति। खाते को तीन में से किन्हीं भी दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा सकता है। हालांकि, उनमें से एक कोषाध्यक्ष अवश्य होना चाहिए।

iii. सभी रसीदों को पार्टी के बैंक खातों में जमा किया जाएगा और सभी व्ययों को ऐसे बैंक खातों के माध्यम से रूट किया जाएगा।

४. निधियों का उपयोग

i. पार्टी द्वारा प्राप्त निधियों का उपयोग पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

ii. निधियों का उपयोग सम्बन्धित कार्यकारी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी निधियों के उपयोग को प्रशासित करने वाले विनियमनों को बना सकती है।

iii. सभी दानों और व्ययों के विवरणों को पारदर्शी बनाया जाएगा।

५. लेखा पुस्तकों का परीक्षण

पार्टी के रूप में पार्टी के प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आयोग को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण सी.ए.जी. के पैनल शामिल ऑडिटर से कराया जाएगा तथा पार्टी का फण्ड केवल राजनीति कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रखरखाव में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशकों का पालन करेगी।

अनुच्छेद IX: संविधान का संशोधन

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा या विशेष अधिवेशन द्वारा अधिकृत किये जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। इस संविधान को राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संशोधित किया जा सकता है बशर्ते संशोधन को सभी सदस्यों को विधिवत अधिसूचना के बाद इसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई का अनुमोदन हो। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बुलाई जाएगी जिस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय परिषद् के कम से कम 10: के सदस्यों के हस्ताक्षर हों। कार्यकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया संशोधन, राष्ट्रीय परिषद् के अगले सत्र में पुष्टिकरण के अधीन, तत्काल लागू हो जाएगा

अनुच्छेद X: विलय विभाजन और विघटन

पार्टी के विघटन या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय का निर्णय पार्टी की केंद्रीय समितियां / राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा कुल सदस्य के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से लिया जाएगा। इसके पश्चात यह प्रस्ताव, पार्टी की उस समय तक विद्यमान समस्त स्तरों की कार्यकारिणीयों / परिषदों को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा । पार्टी की कम से कम 2/3 कार्यकारिणीध परिषदों के अनुमोदन के पश्चात यह प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होगा ।पार्टी विलय और विभाजन के सिद्धांत का पालन करेगी जैसा भारत के संविधान की अनुसूची में प्रदान किया गया है। विघटन की असंभाव्य घटना में, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक उस उद्देश्य के लिए आयोजित की जाएगी।

अनुच्छेद XI: संविधान की व्याख्या

अकेली राष्ट्रीय कार्यकारी के पास इस संविधान और इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों की व्याख्या करने की शक्ति और अधिकार है। उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा जब तक कि इसे राष्ट्रीय परिषद् द्वारा उसकी अगली बैठक में पलट नहीं दिया जाता है।

अनुच्छेद XII: विविध प्रावधान

i. कोई भी व्यक्ति दो कार्यकारियों का एक सदस्य नहीं होगा।

ii. यदि कोई व्यक्ति पार्टी की किसी भी कार्यकारी समिति का एक सदस्य है, तो उसके समीपी परिवार के सदस्यों में से कोई भी पार्टी के किसी भी कार्यकारी का एक सदस्य नहीं बन सकता है।

iii. कोई भी सदस्य, जो अपनी अनुपस्थिति की पूर्व सूचना के बिना किसी परिषद् / कार्यकारी की 3 लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता है, इस प्रभाव के लिए प्रस्ताव के पारित होने पर परिषद् ध कार्यकारी का एक सदस्य नहीं रहेगा।

iv. राष्ट्रीय कार्यकारी किसी कार्यकारीध परिषद् के किसी सदस्य के त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु के कारण से हुई रिक्तियों को भरने के लिए विनियमनों को बनायेगी।

v. राष्ट्रीय कार्यकारी नए संगठनों या पार्टियों के पार्टी के भीतर विलय के लिए रखे जाने वाले मानदंडों और विशेष व्यवस्थाओं को बनाएगी।

vi. पार्टी अपने पंजीकरण के पांच वर्षो के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगा तथा उसके पश्चात चुनाव लडना जारी रखेगा ।

vii. पार्टी के सभी पदों तथा पार्टी के अंगों के लिए समयबद्ध चुनाव (समयावधि को संविधान में विनिदिष्ट किया जाएगा पर यह 4 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य) कराए जाएंगे।

viii. अध्यक्ष प्रत्येक नियुक्ति और कार्य समिति का अनुमोदन करेगा अनुमोदन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि नैतिक, सामाजिक, व्यावसयिक, भौगोलिक स्थिति तथा संगठनात्मक विस्तार कि दृष्टि से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

Basic Membership Form (A)
प्रारम्भिक सदस्यता फार्म (क)

BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
न्याय * साम्या * सद्विवेक

Form Number / फार्म संख्या :

Name / नाम : _____ Age / उम्र : _____

Father / Husband Name / पिता / पति का नाम : _____

Address / पता : _____

Mobile / मोबाईल : E-mail / ई-मेल :

EPIC No. / मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक :

Part Number / भाग संख्या : Part Name / भाग का नाम :

Assembly Constituency- Number / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र :

Parliamentary Constituency / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र :

Polling Station / मतदान कैन्द्र :

Declaration / सत्यापन

I want to become a member of the BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY. I am over 18 years of age, I believe in the constitution of the Bhartiya Swarnim Yug Party / मैं भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं, मैं भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के संविधान में आस्था रखता हूँ।

I am depositing .....Rs/- in the form of annual subscription from.....to...../
मैं वार्षिक चन्दे के रूप में रूपया..... शुल्क.....से..... तक के लिये जमा कर रहा हूँ।

I am not a member of any other political party registered with the Election Commission of India. /
मैं भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हूँ।

• Under the provisions contained in sub-bonds Rule 03 of Madhya Pradesh Civil Service Conduct Rules 196 5, you can neither be a member of any political party nor be an officer.
• मध्य प्रदेश सिविल सेवा आवरण नियम 196 5 के नियम 03 के उप बंधुओं में निहित प्रावधानों के तहत ना तो आप किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य हो सकते है और ना ही पदाधिकारी बन सकते है।

Applicant's Signature / प्रार्थी के हस्ताक्षर

Signature of Recruiter
भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर

Vijay Singh Yadav, Advocate / विजय सिंह यादव,अधिवक्ता
National President, BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

Name / नाम :

Designation / पद नाम :

Address / पता :

Mobile / मोबाईल :

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्लेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsy.party

---

BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
न्याय * साम्या * सदविवेक

PAN: AAABB3727B
Registration No: 56/132/2019-2020/PPS-I

प्रारम्भिक सदस्य को दी जाने वाली रसीद Date D D M M 2 0 Y Y

फार्म क्रं. संख्या

को श्री / श्रीमती .....

निवासी.....

.....

से प्रांरभिक सदस्यता शुल्क 10 रूपया वर्ष जुलाई ..... से 30 जून .....

तक के लिए प्राप्त किया ।

₹ 10/-

भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर व पता | अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के हस्ताक्षर | राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

*This Donation is eligible for exemption under Income Tax Act 1961 U/S 80 GGC
*Subject to realization of Cheque.

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्लेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001
Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsyparty

Active Membership Form (B)
सक्रिय सदस्यता फार्म (ब)

BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
न्याय * साम्या * सद्विवेक

Form Number / फार्म संख्या :

Name / नाम : _____ Age / उम्र : _____

Father / Husband Name / पिता / पति का नाम : _____

Address / पता : _____

Mobile / मोबाईल : E-mail / ई-मेल :

EPIC No. / मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक :

Part Number / भाग संख्या : Part Name / भाग का नाम :

Assembly Constituency- Number / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र :

Parliamentary Constituency / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र :

Polling Station / मतदान कैन्द्र :

Declaration / सत्यापन

I want to become an active member of the BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY for a period from..... to ..... along with this form, I am also depositing 500 Rs/- membership fee of 50 initial members and their forms. I have taken primary membership for the same period by form number..... / मैं भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी का सक्रिय सदस्य वर्ष.....से..... की अवधि के लिए बनना चाहता हूँ। मैं इस फार्म के साथ 50 प्रारंभिक सदस्यों का 500 रूपये सदस्यता शुल्क तथा उनके फार्म भी जमा कर रहा हूँ। मैं इस अवधि के लिए फार्म संख्या.....के द्वारा प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर चुका हैं।

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

Applicant's Signature / प्रार्थी के हस्ताक्षर

Signature of Recruiter
भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर

Vijay Singh Yadav, Advocate / विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
National President, BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

Name / नाम : _____

Designation / पद नाम : _____

Address / पता : _____

Mobile / मोबाईल :

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsy.party

BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY
भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
न्याय * साम्या * सदविवेक

PAN: AAABB3727B
Registration No: 56/132/2019-2020/PPS-I

सक्रिय सदस्य को दी जाने वाली रसीद

Date D D M M 2 0 Y Y

फार्म क्रं. संख्या

को श्री / श्रीमती .....

निवासी.....

.....

से सक्रिय सदस्यता फार्म तथा 50 प्रारम्भिक सदस्यों के फार्म मय 500 रूपए सदस्यता शुल्क प्राप्त किये ।

₹ 500/-

हस्ताक्षर सक्रिय सदस्य | हस्ताक्षर अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी | राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

*This Donation is eligible for exemption under Income Tax Act 1961 U/S 80 GGC
*Subject to realization of Cheque.

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001
Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

8989-00-1929 www.bsyparty.com info@bsyparty.com bsy.party bsy_party bsyparty

महत्वपूर्ण चिन्तन के विषय

धनतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र

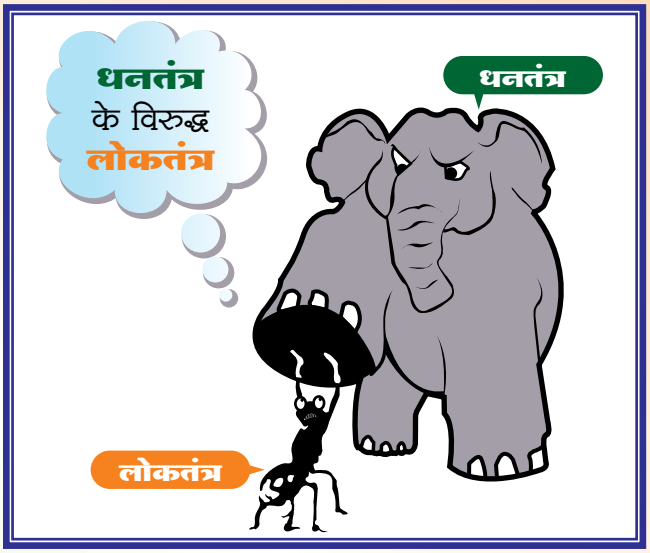

अमीरो की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है

बेरोजगार बन्धुआ मजदूर

निजी जानकारीयों की गोपनीयता और सुरक्षा

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी